



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1111]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 2015/ज्येष्ठ 5, 1937

No. 1111]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 2015 /JYAISTHA 5, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2015

का.आ. 1409(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनुरूप स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमशः नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंतः स्थापित किया गया समझा जाएगा।

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
324	544 डी	आंध्र प्रदेश राज्य में अनंतपुर में रारा 44 के साथ अपने जंक्शन से प्रारम्भ होकर ताडीपत्री, कोलिमिगुण्डला, ओक, बनगनापल्ली, गजुवालपल्ली, गीदालूर कुम्बुम, थोकापल्ली, विनुकंडा, नारासाराओपेट को जोड़ने वाला और गुंटूर में रारा 16 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
325	340 सी	आंध्र प्रदेश राज्य में कुर्नूल में रारा 40 के साथ अपने जंक्शन से प्रारम्भ होकर नंदिकोत्कुर, आत्माकुर को जोड़ने वाला और दोरनाला में रारा 765 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

326	965	महाराष्ट्र राज्य में मोहोल के निकट रारा 65 के साथ अपने जंक्शन से आरंभ होकर पंधारपुर, मल्शिरस, फलतन, नीरा, जेजुरी, पुणे के निकट सास्वद को जोड़ने वाला और अलांदी के निकट रारा 60 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
-----	-----	---

[फा. सं. एनएच-14012/20/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गयी थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछले बार संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ. 1031(अ) तारीख 17 अप्रैल, 2015 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2015

S.O. 1409(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the column (3) of the Table below to be a national highway, as specified in the corresponding column (2) thereof.

The highways, now declared to be national highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table.

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
324	544D	The highway starting from its junction with NH 44 at Ananthpur connecting Tadipatri, Kolimigundla, Owk, Banaganapalli, Gajualapalli, Giddalur, Cumbum, Thokapalli, Vinukonda, Narasaraopet and terminating at its junction with NH 16 at Guntur in the State of Andhra Pradesh.
325	340C	The highway starting from its junction with NH 40 at Kurnool connecting Nandikotkur, Atmakur and terminating at its junction with NH 765 at Dornala in the State of Andhra Pradesh.
326	965	The highway starting from its junction with NH 65 near Mohol connecting Pandharpur, Malshiras, Phaltan, Nira, Jejuri, Saswad near Pune and terminating at its junction with NH 60 near Alandi in the State of Maharashtra.

[F. No. NH-14012/20/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Foot Note: The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 1031(E), dated 17th April, 2015.